रजिस्ट्री स डी (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 1985/आश्विन 16, 1907
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1985/ASVINA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं 39-आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1985

विषय अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

फा स आई पी सी/4/5 (209)/85—88 —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 1-आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च, 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति (खण्ड-1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए गए समझे जाएंगे :

क्र. सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	140	परिशिष्ट 3 भाग क प्रविष्टि स. 607 (29)	इस प्रविष्टि के विवरण को इस प्रकार से संशोधित किया जाएगा : "(29) परिशिष्ट 6 में उल्लिखित से भिन्न वीडियो कैसेट्स"।
2.	161	परिशिष्ट 6	वर्तमान मद सं. 30 के बाद निम्नलिखित नई मद जोडी जाएगी : "30क. 3/4 इंच यूमेटिक एवं 1 इंच, वीडियो कैसेट्स/टेप्स — वीडियो सॉफ्टवेयर अनुरेखण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत एकक"।

3. आयात एवं निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 39-ITC/(PN)/85—88

New Delhi, the 8th October, 1985

Subject : Import and Export policy for April 1985—March 1988.

F. No. IPC/4/5(208)/85—88:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85—88, dated the 12th April, 1985 as amended.

2 The following amendments shall be deemed to have been made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No of Import & Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	140	Appendix 3 Part A Entry No. 607(29)	The description of this entry shall be amended as under :— "(29) Video Cassettes other than those mentioned in Appendix 6."
2.	161	Appendix 6	After the existing item No. 30 the following new item shall be added :— "30 A. 3/4 inch U-matic and 1 inch video cassettes/tapes — Units registered with Min. of I & B for video software generation."

3 The above amendments in the Import & Export Policy have been made in the Public interest.

R.L. MISRA, Chief Controller of Import and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985